



भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R.-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006

(दुरभाष नं.0151-2253123/2250960)



आंवला फलों की नीलामी सूचना

सचिव, भाकृअनुप, नई दिल्ली की ओर से, निदेशक, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के प्रक्षेत्र के आंवला जनन द्रव्य एवं आंवला आधारित खेती प्रणाली के कुल 47 वृक्षों के फलों की खुली नीलामी संस्थान के फार्म कार्यालय में दिनांक 02.11.2017 को पूर्वाह्न में 11.00 बजे आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक व्यक्ति रु.1000/- (रुपये एक हजार मात्र) की बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्तें संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं फार्म कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेब साईट www.ciah.ernet.in एवं CPP-NIC Portal पर उपलब्ध हैं। नीलामी में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति आंवला वृक्षों एवं नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन अपनी बोली लगाने से पूर्व अवश्य कर लें।

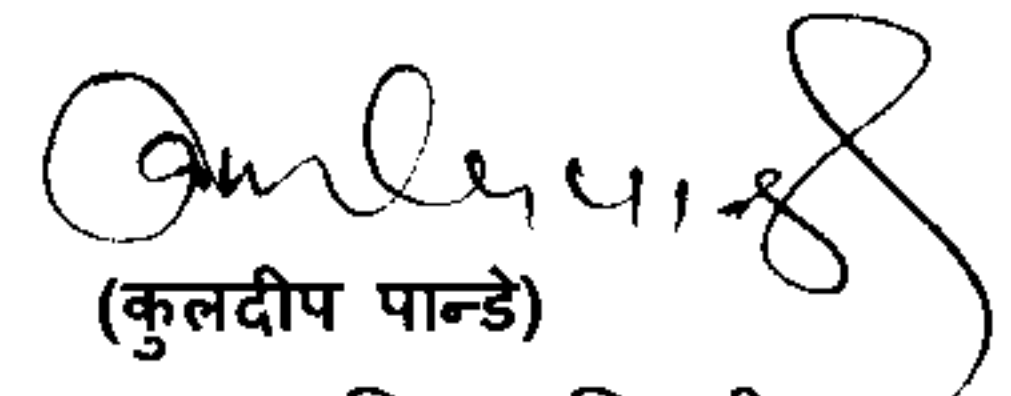
प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास पूर्ण सुरक्षित रहेगा।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी



दिनांक: 24.10.2017

9. फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुड़ाई नहीं होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेंगे। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुड़ाई के लिये नहीं लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी। तोड़े गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने के लिये अनुमति पत्र (गेट पास) लेना अनिवार्य है।
10. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यों के लिये आंवला प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम आंवला फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
11. फलों की तुड़ाई, भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
12. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
13. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तर दायी नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।



(कुलदीप पान्डे)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी